UPMT010016482026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–777/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 572/2017 धारा–420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अशोक कुमार शर्मा पुत्र ओम प्रकाश सारस्वत द्वारा थानाध्यक्ष, थाना–फरह, जिला–मथुरा को ईमेल ashokjhsmirediffmail.com के माध्यम से एक तहरीर इस आशय की दी गयी कि कल्पतरू बिल्डटैक कार्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर जय किशन राणा, विपिन यादव, राजकुमार यादव ने विज्ञापन के माध्यम से चुरमुरा गाँव स्थित अपनी आवासीय योजना का विवरण प्रसारित कराया, उसके आधार पर वादी और उसका साथी सुरजीत सिंह सोलकी ने 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति फ्लैट के हिसाब से 2 अलग–अलग फ्लैट दिनाँक 26.11.2012 को बुक कराये। उपरोक्त डायरेक्टर के हिसाब से 36 माह में प्रतिमाह 6,000/– (छः हजार) ₹ किस्त के रूप में अदा किये। इस तरह से उसने कुल 2,66,000/– (दो लाख छियासठ हजार) ₹ तथा उसके साथी सुरजीत सिंह सोलंकी ने कुल 2,66,000/– (दो लाख छियासठ हजार) ₹ अदा किये। इस तरह से उन दोनों ने कुल राशि 5,32,000/– (पाँच लाख बत्तीस हजार) ₹ दिये। लेकिन जब वह दोनों उनके हिसाब से पैसा जमा कराने के बाद फ्लैट पर कब्जा करने गये तो उन्होंने टाल दिया एवं कुछ समय बाद आने को कहा। दिनाँक 11.05.2016 को कार्यालय में बुलाकर उनसे कागज ले लिये और एक कार्यालय द्वारा रिसिविंग दे दी। इस रसीद के हिसाब से 3 माह बाद जब वह पैसा वापस लेने गये तो उन्हें डराने धमकाने लगा। प्रार्थीगण को इस षडयंत्र से मुक्त कराकर उपरोक्त डायरेक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके हमारे पैसे वापस दिलाने की कृपा करें। वादी द्वारा ईमेल से प्रेषित उक्त तहरीर के आधार पर सम्बंधित थाना–फरह, जिला–मथुरा में दि० 11 10 2017 को मुकदमा अपराध सं० 572/2017 अन्तर्गत धारा 420, 120–बी., 406 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण जय किशन राणा, विपिन यादव व राजकुमार यादव पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.11 12:39:14 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा धारा–409, 467, 468, 471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन–पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुये स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाकर तथा वादी एवं वादी के साथी सुरजीत सिंह सोलंकी को अनुचित नुकसान पहुँचाकर वादी एवं उसके साथी सुरजीत सिंह सोलंकी द्वारा उक्त कम्पनी में निवेश किये गये मु० 2,66,000– 2,66,000/– रूपये कुल मु० 5,32,000/– (पाँच लाख बत्तीस हजार) रूपये के एवज में न तो कोई फलैट दिये जाने एवं न ही वादी एवं वादी के साथी सुरजीत सिंह सोलकी द्वारा जमा किये गये उक्त वर्णित रूपयों को उन्हें वापिस किये जाने का आरोप है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता

जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत मामले में आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है तथा सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।
8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–10.03.2026

पवन कुमार, पी.ए.

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191